

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:आदेश:—

संचिका संख्या-06/वि0नि0-18-01/2021

/पटना, दिनांक—

श्री मुकेश कुमार चौधरी, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), पटना मध्य अंचल-1, पटना बिहार वित्त सेवा में नियुक्ति के पूर्व बिहार सरकार के अन्तर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 53-55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार वित्त सेवा के लिए चयनित होने के उपरांत श्री चौधरी की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या-4156 दिनांक-18.11.2013 द्वारा परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी के पद पर की गयी।

उक्त अधिसूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का जिलादेश संख्या-5713/13 के द्वारा दिनांक-28.11.2013 को विरमित किये जाने के उपरांत श्री चौधरी द्वारा दिनांक-29.11.2013 को परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी के पद पर योगदान समर्पित किया गया। इस प्रकार श्री चौधरी की दोनों सेवाओं के बीच कोई टूट नहीं है।

अतः वित्त विभाग की सहमति से श्री मुकेश कुमार चौधरी द्वारा दिनांक-18.02.2009 से 28.11.2013 तक NPS के अधीन बिहार पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर की गयी अराजपत्रित सेवा को बिहार वित्त सेवा के साथ परिगणित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विजय कुमार),

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-06/वि0नि0-18-01/2021 87

/पटना, दिनांक-08/01/26

प्रतिलिपि:—राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार ,पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मुकेश कुमार चौधरी, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), पटना मध्य अंचल-1, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।